

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0  
प्रकरण संख्या - 153 /21

उनवान  
लक्ष्मण पुत्र भूरा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

- बनाम
- 1- दीपक पुत्र प्रेम चंद मीणा निवासी कलिंजरी हाल कोठी फिल्ड शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
  - 2- सोनी पत्नी दीपक मीणा निवासी कलिंजरी हाल कोठी फिल्ड शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
  - 3- उमा कंवर पत्नी अर्जुनसिंह राणावत निवासी कलिंजरी गेट, शिक्षक कोलोनी शाहपुरा भीलवाड़ा
  - 4- चन्द्र प्रभा कंवर पत्नी ब्रजेन्द्रसिंह राणावत निवासी सुरजपुरा (कादीसहना) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
  - 5- भंवरलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी तहनाल गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
  - 6- मखना पुत्र हाथीराम खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
  - 7-8 खाना, उगमा, पुत्र श्रीराम खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
  - 9- रंगलाल पुत्र श्री रामा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
  - 10- हीरा पुत्र मांगीलाल खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
  - 11- प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
  - 12- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपस्थिति :- श्री योगेन्द्र सिंह भाटी  
अधिवक्ता प्रार्थी

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 27/08/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी के ग्राम कल्याणपुरा(कादीसहना) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 220 रकबा 0.41 है0, 228 रकबा 0.08 है0, 552 रकबा 0.35 है0, 560 रकबा 0.34 है0, 561 रकबा 0.04 है0, 861 रकबा 0.60 है0, 892 रकबा 0.13 है0, 893 रकबा 0.12 है0, 895 रकबा 0.04 है0 कुल किता 9 रकबा 2.11 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा(कादीसहना) संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी खातेदारी दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणपुरा(कादीसहना) में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 9 रकबा 2.11 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह AS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

एवं सहायक कलेक्टर